# अध्याय–I

## 1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 58 विभागों के साथ 392 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 806 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थान शामिल हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। विभागों एवं संबंधित संस्थाओं का विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दिया गया है।

## 1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2019–21 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 46 विभागों के अंतर्गत 6,192 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षा के लिए नियोजित कुल 1,907 इकाइयों में से 1,305 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं निर्माण गतिविधियां' की विषयगत लेखापरीक्षा तथा 13 विभागों[1] से संबंधित 16 अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

## 1.3 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करता है, अर्थात,

**ऑडिट मेमो:** स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

**निरीक्षण प्रतिवेदन:** लेखापरीक्षा संपादित होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

**आलेख्य प्रस्तर:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन विभागों के प्रमुखों को, जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छह सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने के लिए निर्गत किया जाता है।

**समापन बैठक:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासकीय/विभागीय मतों को जानने के लिए विभागों के प्रमुखों एवं शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुखों/शासन को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूरा अवसर प्रदान करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते या संतोषजनक नहीं होते हैं, तब ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकतर प्रकरणों में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, लेखापरीक्षित इकाइयाँ सामयिक एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं।

[1] बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह, आवास और शहरी नियोजन, सिंचाई और जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, व्यावसायिक विभाग शिक्षा और कौशल विकास।

### *निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति*

58 विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से संबंधित 2,675 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मार्च 2021 तक निर्गत किये गए निरीक्षणों प्रतिवेदनों के विस्तृत पुनरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 11,484 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 49,841 प्रस्तर 31 मार्च 2022 तक संतोषजनक उत्तरों के अभाव के कारण अनिस्तारित थे। इनमें से, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 2,806 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 12,997 प्रस्तरों के सापेक्ष प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया गया जबकि 8,678 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,844 प्रस्तरों के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

**तालिका 1.1 31 मार्च 2022 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर (31 मार्च 2021 तक निर्गत)**

| क्र0 सं0 | अवधि | अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं0 (प्रतिशत) | अनिस्तारित प्रस्तरों की सं0 (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | एक वर्ष तक | 97 *(1)* | 889 *(2)* |
| 2 | एक वर्ष से तीन वर्ष तक | 2468 *(21)* | 13853 *(28)* |
| 3 | 3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 2355 *(21)* | 10572 *(21)* |
| 4 | 5 वर्ष से अधिक तक | 6564 *(57)* | 24527 *(49)* |
| **कुल योग** | | **11484** | **49841** |

*(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)*

वर्ष 2019–21 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की पांच बैठकें (लेखापरीक्षा समिति की बैठकें) आयोजित की गईं, जिनमें 22 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 309 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

- ***वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति***

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आवास एवं निर्माण गतिविधियां' की विषयगत लेखापरीक्षा प्रस्तर तथा 17 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनका मत जानने के लिए अग्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के नियम 138 में प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर आलेख्य प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों' के विषयगत लेखापरीक्षा प्रस्तर तथा 13 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। चार लेखापरीक्षा प्रस्तरों के मामले में अनुस्मारक के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2022)। तथापि, सभी प्रस्तरों के संबंध में संबंधित लेखापरीक्षा इकाईयों के उत्तर प्राप्त हुए थे।

## 1.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उचित एवं सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

में शामिल प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां राज्य विधानमंडल में उनके प्रस्तुति के दो या तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया (जून 1987)। लंबित उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है।

**तालिका 1.2: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति**
**(31 जुलाई 2022 तक)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर | | निष्पादन लेखापरीक्षा /अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की संख्या जिसकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां लंबित हैं | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा |
| 2012-13 | प्रतिवेदन सं. 5 वर्ष 2014 | 17.11.2014 | 5 | 28 | 1 | 22 |
| 2012-13 | प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2014 | 01.07.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-14 | प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2015 | 26.03.2015 | 6 | 31 | 3 | 18 |
| 2014-15 | प्रतिवेदन सं. 1 वर्ष 2016 | 08.03.2016 | 9 | 30 | 0 | 12 |
| 2014-15 | प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2016 | 23.08.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-16 | प्रतिवेदन सं. 2 वर्ष 2017 | 18.05.2017 | 2 | 29 | 1 | 19 |
| 2015-16 | प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2017 | 21.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-16 | प्रतिवेदन सं. 4 वर्ष 2017 | 27.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2018 | 07.02.2019 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 2018-19 | प्रतिवेदन सं. 2 वर्ष 2021 | 19.08.2021 | 1 | 21 | 1 | 19 |
| **योग** | | | **27** | **149** | **10** | **91** |

***(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)***

## *लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा*

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 के दौरान, विभागों से संबंधित 27 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 149 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया है। इनमें से, लोक लेखा समिति ने 42 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा) को चर्चा के लिए लिया। 31 जुलाई 2022 तक लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है।

**तालिका 1.3 उत्तर प्रदेश, विधान सभा, लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति (31 जुलाई 2022 तक)**

| स्थिति | वर्ष 2012–13 से 2018–19 के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा |
|---|---|
| कुल लेखापरीक्षा प्रस्तरों की सं. | 176 (27 **नि.ले.प** + 149 **अनु. ले.प.**) |
| लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु उठाये गए | 42 (15 **नि.ले.प** + 27 **अनु. ले.प.**) |
| प्राप्त ए.टी.एन. | **शून्य** |

*(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)*

## 1.5 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2, तुलसीपुर, बलरामपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2021) से ज्ञात हुआ कि जिला बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी. 80.000 से किमी. 114.000 के बीच मिट्टी–कार्य एवं पक्के कार्य सहित, राप्ती नहर के निर्माण एवं उसकी वितरण प्रणाली के लिए ₹360.89 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार के साथ एक अनुबंध निष्पादित (अप्रैल 2013) किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिलों से श्रम उपकर की वसूली के बजाए खंड द्वारा पहले श्रम उपकर जोड़ा और फिर उसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया। परिणामस्वरूप, श्रम उपकर का वास्तविक भार ठेकेदार के बजाए शासन द्वारा वहन किया गया। इस कारण से, ठेकेदार को ₹4.86 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ (जनवरी 2022 में भुगतान किए गए 85वें रनिंग बिल तक)।

उत्तर में, शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2022) कि श्रम उपकर की संपूर्ण धनराशि (₹4.86 करोड़) ठेकेदार के 86वें रनिंग बिल (मार्च 2022) से वसूल कर ली गई थी।

## 1.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।